(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : एक–निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/4109 – विरूद्ध आदेश दि० 26–10–2017 पारित व्दारा अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 31/2010–11 निगरानी

1– लोकपाल पुत्र राजाभैया यादव

2– राजाभैया पुत्र दातार सिंह

निवासी ग्राम पचना तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– भगवान सिंह 2– बादल सिंह

पुत्रगण अमोल सिंह

3– धनीराम 4– कोकसिंह 5– सुरेन्द्रसिंह

6– रामसिंह 7–जयराम पुत्रगण अमोलसिंह

8– जयपाल 9– धरम सिंह पुत्रगण गुलाबसिंह

10–महिला अॅगूरी पत्नि कप्तानसिंह

सभी ग्राम पचना तहसील खनियाधाना, शिवपुरी ---अनावेदकगण।

(आवेदक के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस०पी०धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 9-01-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 31/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–10–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम

पचरा की कुल किता 7 कुल रकबा 10–70 हैक्टर भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के बटवारे की मांग की। तहसीलदार खनियाधाना ने प्रकरण क्रमांक 73 / 08–08 अ– 27 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 13–4–2008 पारित करके वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने प्रकरण क्रमांक 32 / 08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–11–10 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 31 / 2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–10–2017 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अनावेदकगण के अभिभाषाक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने आदेश दिनांक 12–11–10 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

- अधीनस्थ न्यायालय व्दारा उदघोषणा विधिवत् जारी नहीं की गई है और न ही सूचना पत्रों का निर्वाह विधिवत कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत फर्द बटवारा मौके की स्थिति अनुसार नहीं बनाया गया है। फर्द बटवारा पर सभी सह-खातेदारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं और न ही प्रस्तुत फर्दो का प्रकाशन कराया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई तथा पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है। *

अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने आदेश दिनांक 12–11–10 में उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर ने आदेश दिनांक 26–10–2017 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के आदेश दिनांक 12–11–10 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 26–10–2017 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 31 / 2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–10–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर